

ऑटो रिप्लेसिंग विभाग, जयपुर  
कोटपुलवाडी (जयपुर)

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016  
दिनांक को संदे इजलास सुनाया गया है।

दफतर हो।  
होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाबा दखिल  
जाकर पत्रावली खरिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल इमाम  
है। अतः पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की  
अंतिम कार्यवाही की जान का कोई आश्चय प्रतीत नहीं होता  
मन्सूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की  
आवंटन की माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही  
में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थी न  
3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष  
न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटविहीन सं.  
अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च  
विवाहित भूमि से सम्बन्धित रेस्पॉन्डेंट्स के हक में किया गया  
किया है। अब अपीलार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने उक्त  
मू-आवंटन की बातों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर  
प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवाहित भूमि का आवंटी  
रेस्पॉन्डेंट्स को मू-आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि  
अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर  
प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का  
हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दरसावेजात पेश किये।  
माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की  
का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में  
सम्बन्धित मू-आवंटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण  
निर्णय के परिपेक्ष में इस्तगत प्रकरण में वर्तित आराजी से  
राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित  
विहीन नम्बर 3374/2005 व उतवानी छोट एवं अन्य बंनम  
उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट  
प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय  
(नायब तहसीलदार कोटपुलवाडी) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत  
होकर तहसीलदार कोटपुलवाडी की ओर से पैरोकार सरकार  
पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी बैण्ड

विशेष विवरण

आशा विस्तृत रूप से

दिनांक 23/11/2016